1 **न्यायालय, बृजेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**
नियमित जमानत याचिका संख्या–675 / 2026
सुगौली थाना कांड संख्या–321 / 2024
अमन खान बनाम बिहार राज्य

अमन खान, पुत्र–नईम खान, उम्र करीब–35 वर्ष,
निवासी ग्राम–नकरदेई, थाना–सुगौली,
जिला–पूर्वी चम्पारण .....आवेदक।

बनाम

बिहार राज्य .....विपक्षी ।

उपस्थितः–बृजेश कुमार,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10
पूर्वी चम्पारण।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः–श्री प्रवीण कुमार।
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजकः–श्री खूबलाल प्रसाद।

18-03-2026

==========

आदेश

कराधीन आवेदक / अभियुक्त अमन खान के द्वारा सुगौली थाना कांड संख्या–321 / 2024, धारा–126(2), 115, 118(1), 117(2), 109, 303(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–27 आयुध अधिनियम334(1), 303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्राप्त कराया जा चुका है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक–03.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत आवेदन के पैरा–2 में यह कथन किया गया है कि, आवेदक / अभियुक्त ने इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–4350 / 25 दाखिल किया था जिसके खारिज होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रि.मिस. नं0–89048 / 24 दाखिल किया था जो आवेदक / अभियुक्त को छोड़कर आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया है, और आवेदक / अभियुक्त की अग्रिम जमानत आवेदन को वापस ले लिया गया था, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय के समक्ष न ही किसी अन्य वरीय न्यायालय में दाखिल किया है। जमानत आवेदन के पैरा–3 में आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध इस कांड के अतिरिक्त 1. सुगौली थाना कांड संख्या–378 / 2014, 2. 417 / 15, 3. 418 / 15, 4. 276 / 24, 5. 319 / 24, 6. तुरकौलिया (बंजरिया) थाना कांड संख्या–227 / 20, 7. विचारण संख्या–3585 / 24 (परिवाद पत्र संख्या–213 / 24) एवं 8. बंजरिया थाना कांड संख्या–115 / 25 पूर्व से दर्ज है।

2 **न्यायालय, बृजेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**
नियमित जमानत याचिका संख्या–675 / 2026
सुगौली थाना कांड संख्या–321 / 2024
अमन खान बनाम बिहार राज्य

Contd..... **18-03-2026**	आवेदक / अभियुक्त दिनांक–03.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षाधीन है। आवेदक / अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि, आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे गलत नियत से इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप मनगढ़ंत एवं झूठ है। यह मामला एक ही दिन की घटना को लेकर सुगौली थाना कांड संख्या–320 / 2024 का पलटा मामला है। धारा–109, 303(2) बी.एन.एस. एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। आवेदक / अभियुक्त की किसी व्यक्ति हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी उभय पक्षों में मारपीट हुआ था, इस प्रकार का कोई जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। आवेदक / अभियुक्त ने स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। अन्ततः निवेदन करते हैं कि, आवेदक / अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान की जाय। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सूचिका हेना यासमिन द्वारा थानाध्यक्ष, सुगौली को दिये गये आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि, दिनांक 17.07.24 को उसके पति अन्य सदस्यो एवं ग्रामीणों के साथ निहत्थे मुहर्रम जुलूस के काफी पीछे चलते हुए वर्तमान मुखिया सल्लू खानम के घर के सामने रोड से गुजर रहे थे तो सल्लू खानम एवं इनके पति नईम खान अपने पुत्र अमन खान, आजम खान को आदेश दिए कि दुश्मनो को गोली से उड़ा दो। इतना सुनने के बाद अमन खान हत्या करने की नियत से इबरार खान जो ममेरे चचेरे श्वसुर है। इन पर पिस्टल से गोली चलाए जो उनके कंधा के बगल से निकल गया। समसूल खान खुखड़ी से और नईम खान फरसा से हत्या करने की नियत से उसके पति तबरेज खान मंसूर खान को मारे जिससे उसके पति तबरेज खान अपने दाहिने हाथ से समसूल खान के खुखरी का प्रहार रोके और उनका दाहिना हाथ कट गया और हड्डी भी टूट गया लेकिन नईम खान के द्वारा चलाए गए फरसा से उसके पति तबरेज खान का सर कट गया। मिन्टू खान फरसा से हत्या करने की नियत से जुनैद खान के सर पर प्रहार किए जिससे उसका सर कट गया। मजीद खॉ रफीक खान फरसा से जान मारने की नियत से जमशेद खान के सर पर प्रहार किए जिससे उसका सर कट गया। आमिर खान आए और फरसा से एकरार खान को हत्या करने की नियत से आगे से सर पर प्रहार कर दिया। इतना में जिशान खान पीछे खुखरी से एकरार खान के सर पर प्रहार किए जिससे उसका भी सर फट गया। हैदर खान	

3 **न्यायालय, बृजेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**
नियमित जमानत याचिका संख्या–675 / 2026
सुगौली थाना कांड संख्या–321 / 2024
अमन खान बनाम बिहार राज्य

Contd..... **18-03-2026**	उसके पति तबरेज खान के पॉकेट से पच्चीस हजार रूपया बनीयत चोरी निकाल लिए। भुट्टु खान सोने का चैन कीमत करीब सत्तर हजार रूपया का इम्तेयाज खान के गले से छीन लिए। सैफुल्लाह खान उसके पति तबरेज खान के सोने का अंगूठी कीमत करीब पच्चास हजार रूपया निकाल लिए। अख्तर खॉ बिजुल खान के पॉकेट से बनीयत चोरी तीस हजार रूपया निकाल लिए। बाबुल खॉ, असगर खान, बुच्चु खान, अहद खान, शकील खान, अली हसान लाल मोहम्मद खान, तेगड़ खान, नेजाम खान सभी नाजायज मजमा बनाकर मोहर्रम जुलूस के आड़ में उसके पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों के उपर सामूहिक हत्या का गैंगवार हमला किए। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख सहित कांड दैनिकी का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि, आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर धार्मिक उन्माद फैलाने एवं सूचिका के पति एवं अन्य को फरसा, खुखरी से मारपीट कर जख्मी कर देने एवं रूपया एवं गहना छीन लेने का आरोप लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध हत्या करने की नियत से इबरार खान जो वादी के ममेरे चचेरे श्वसुर है, उन पर पिस्टल से गोली चलाने का प्रत्यक्ष अभियोग है, जो उनके कंधा के बगल से निकल गया। मूल केस डायरी की कंडिका–2 में सूचिका का पुनः बयान है, जिसमें सूचिका द्वारा प्राथमिकी के कथनो का समर्थन किया गया है। केस डायरी की कंडिका– 6, 7 के साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया गया है तथा आवेदक की संलिप्तता बताया गया है। कंडिका–49 में जख्मी इबरार खान का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के शरीर पर गोली लगने का जख्म पाया गया जिसमें जख्मी के शरीर से एक बुलेट गोली निकलना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया जा चुका है। विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख में अलग से आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण है, आवेदक/अभियुक्त का पॉच एवं नियमित जमानत आवेदन के कंडिका–3 में आवेदक/अभियुक्त का आठ आपराधिक इतिहास का विवरण है। उपरोक्त वर्णित, तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध गंभीर प्रकृति एवं घटना में आवेदक/अभियुक्त के लम्बे आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त **अमन खान** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को	

4 **न्यायालय, बृजेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–10, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**
नियमित जमानत याचिका संख्या–675 / 2026
सुगौली थाना कांड संख्या–321 / 2024
अमन खान बनाम बिहार राज्य

Contd..... **18-03-2026**	**खारिज** किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि, अविलम्ब इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें। **लेखापित,** **ह0 / –** **(बृजेश कुमार)** **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–X** **पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।** **दिनांक–18.03.2026**	